

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

- 16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति **बला - भ्याडी - भीताकोट जे० अ० निर्माण हेतु 3,325 हे० का प्रती का हस्ताक्षर**
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र **उत्तराखण्ड**
- (ii) जिला **कलमैडा**
- (iii) जिला वन प्रभाग **कलमैडा वन प्रभाग कलमैडा**
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **बला - भ्याडी - भीताकोट**
- 17 पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति **रिविल टेव वन पेचपत श्री**
- 18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा **चीड़, खाल,**
- (i) वन का प्रकार **ओपन जॉर्स्ट**
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व **3**
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना **संलग्न है**
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा **कोई नहीं**
- 19 भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण **भूक्षरण की संभावना नहीं**
- 20 वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी **4.00 कि० मी०**
- 21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता **कोई नहीं**
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा **महत्वपूर्ण वन्यजीव उपलब्ध नहीं**
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्तर्वास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) **नहीं**
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) **नहीं**
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अन्तर्वास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) **अज्ञात प्रमाण नहीं**
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे **कोई नहीं**
- 22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्विक या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) **नहीं**
- 23 पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें **कोई नहीं**
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति **अज्ञात प्रमाण नहीं**
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। **है।**
24. किए गए अतिक्रमण के ब्योरे
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हा. की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्भूत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :
- (i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। **रिविल वन प्रती**
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा, सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। **संलग्न है**
- (iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **है।**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे सलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय - सलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पर्यवेक्षण किए गए क्षेत्र की युवितयुवतता के बारे में सबल उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है (हाँ/नहीं)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हाँ/नहीं)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों प्रस्ताव स्वीकृति संरक्षित की जाती है।

स्थान - अल्मोड़ा

तारीख - 31-08-2015

हस्ताक्षर

नाम

हस्ताक्षर
शासकीय मुख्य प्रजापति
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

2/10

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में थला-भ्याडी-भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।
लंबाई - 15.000 किमी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये असवाल

लिखित प्रस्तावित क्षेत्र प्रबन्धकीय व नवीकरण दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

P
(प्रेमपाल सिंह)
अमीन

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Bun
(सुनित कुमार सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Al
(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

AS
(के० एस० असवाल)
अधिसारी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

राजि वनाधिकारी
प्रान्तीय वनाधिकारी
(अल्मोड़ा)

वन दरोगा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रान्तीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा